APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

किशन पिता घीसा गुर्जर निवासी– भैरुखेडा, तहसील हुरडा । बनाम श्रीमति चान्दु पुत्री घीसा पत्नि भाला गुर्जर वगैरा. , निवासी– पोसवालों का खेडा , भिनाय

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 1684/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2018	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट बराटियॉ पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है । आराजी मुतदाविया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 29 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है । उक्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/4 हिस्सा है , प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 का 13/60वा हिस्सा है । प्रतिवादी संख्या– 4 से लगायत 7, 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी 8 व 9 का 1/16, प्रतिवादी संख्या– 10 व 11 का 1/16, प्रतिवादी संख्या– 12 से 20 2/15, प्रतिवादी संख्या– 21 से 24 11/20, प्रतिवादी संख्या– 25 से 27 2/15, प्रतिवादी संख्या–28 व 29 1/4, प्रतिवादी संख्या– 30, 1/4, और इसी हक हिस्से के अनुसार फरीकेन सम्मिलित रुप से काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की होने से आये दिन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि सीमा को लेकर विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है । तथा वादीगण को भूमि को तरक्की देने में कठिनाई होने से वह मुताबिक हक हिस्से की आराजीयात का विभाजन करवाना चाहता है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन करवा जावें । जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदारों का हिस्सा गलत लिखा हुआ है । हिस्सा दुरुस्त करनें के बाद ही भूमि का विभाजन किया जा सकता है । जवाब बहस में वकील वादी का कथन था कि खातेदारों का हिस्सा सही है । प्रतिवादीगण जानबूझकर भूमि का बॅटवारा नहीं करवाना चाहते है । मैंने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है –	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा भैरुखेडा पटवार हल्का बंराटिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 263, रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा भूमि नाथू पुत्री भूरा, रामबक्ष पिता उदा, घीसा हि.13/60, हीरा, नानू, गोपाल पिता उगमा, ऐजी बेवा उगमा, हिस्सा 1/5, जीवण, लूणाराम, पिता अम्बा, हिस्सा 1/16, मांगी लाल पिता सोजी, 2/15 हि. , रुपीदेवी पत्नि सोजी 1/30, किशना, जगरुप, देबी, रुगनाथ, खमाण, पिता देवकरण , किशनाराम, देबी, जग्गू, रुगनाथ, खमाण, पिता देवकरण , सूरती पुत्री देवकरण, लादी, सुगनी पत्रीया हजारी, 2/15, श्रवण पिता रुपा, गंगाराम पिता अर्जुन, भागूती पुत्री मेवा, सजनी पत्नि मेवा, अमरचन्द्र पिता मेवा, 11/20, देवकरण, दयाराम, पिता खमाण, रुकमी बेवा खमाण 2/15, श्रीकिशन, गोपीलाल, पिता घीसा, चान्दु पुत्री घीसा, भूरी पत्नि घीसा, 1/4, बरदा पिता देवा, 1/4, किशनलाल पिता लादूराम , छोटूलाल पिता लादूराम , 1/4, साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया तथा बेचान से आराजी नम्बर– 263 रकबा 41 बीघा 15 में श्रवण पिता रुपा के बजाय मोतीलाल पिता गंगाराम गुर्जर का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

यहॉ वादीगण का कथन है कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की होने से फरीकेन के मध्य भूमि की कमी पेशी को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है व आराजीयात को तरक्की करनें में परेशानी रहती है । इसलिये वादी आराजी मुतदाविया का माफिक हक हिस्सा के अनुसार विभजान चाहते है । इसके विपरीत उपस्थित प्रतिवादी के अधिवक्ता के द्वारा कथन किया कि आराजीयात में खातेदारों का हिस्सा गलत लिखा गया है । जिसको सही करानें के उपरान्त विभाजन हेतु निवेदन किया गया किन्तु अपने कथनों की पृष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराये गये है जिससे यह प्रकट हो कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारों के मध्य उनका हक हिस्सा गलत अंकित किया गया हो । प्रतिवादी के द्वारा समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी न तो कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया और न ही कोई काउण्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया । चूँकि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी के अनुसार आराजी मुतदाविया के वादीगण खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अपने भूमि के विभजान करवानें के पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी प्राथमिक डिकी किये जाने योग्य है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

"निर्णय"

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा भैरुखेडा पटवार हल्का बराटिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 263 रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदारों काश्तकारों के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता हे कि उक्तानुसार भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर आज ही केम्प कोर्ट में पेश करें । निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट बराटिया पर सूनाया गया ।

27.06.2018

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार हुरडा के द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात नम्बर– 263 रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा भूमि साबिक आराजी नम्बर– 101, 102, 103, 104, 105 से बनी हुई है । साबिक आराजी नम्बर– 101 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर– 104 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि बख्तावर वल्द हमीरा के नाम दर्ज थी । आराजी नम्बर– 103 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा भूमि नन्दा,उजरन, जवारा पिता प्रताप गुर्जर के नाम दर्ज थी । आराजी नम्बर– 105 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि कालु, छोगा, हालु, हरदेव, पिता सोला गुर्जर के नाम दर्ज थी । आराजी नम्बर– 102 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि भूरा वल्द रामा 1/2, देवा वल्द मोडा 1/4, लादा वल्द हमीरा 1/4 गुर्जर के नाम दर्ज थी । वक्त सेटलमेन्ट भू– प्रबन्ध उक्त साबिक आराजीयात को मिलाते हुये नया नम्बर– 263 बनाया गया है। जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार गलत होकर शुद्धी करने योग्य है । तहसीलदार हुरडा ने अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी नम्बर– 263 के सहखातेदारो के हिस्सा में शुद्धि करने के उपरान्त ही विभाजन सम्भव होगा, अन्यथा वर्तमान खातेनुसार विवाद बढने की प्रबल सम्भावना है ।

मैंने उपस्थित तहसीलदार को सूना । उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया । तद्नुसार यदि वादग्रस्त आराजीयात नम्बर– 263 रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा भूमि का हाल राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकित हिस्से के अनुसार खातेदारों के मध्य विभाजन किया जाता है तो सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती बढती जायेगी जिससे खातेदारो के मध्य विवाद बढता ही रहेगा । तद्नुसार प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री के आदेश अपास्त किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

वादीगण राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाकर पुनः नया वाद पेश करनें हेतु स्वतन्त्र रहेगें । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट बंराटिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner